लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)"

(ख) स्तंभ 8 के अधीन प्रविष्टि में, "किसी चिकित्सा प्रयोगशाला" शब्दों के स्थान पर, "कुष्ठ उपचार से जुड़ी हुई किसी चिकित्सा प्रयोगशाला" शब्द रखे जाएंगे ।

(ग) पाद टिप्पण में, "नियम 5" शब्द और अंक के स्थान पर, "नियम 2" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

[फा. सं. ए-12018/45/2000-कुष्ठ/सी.सी.डी.]

के. के. गुप्ता, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सं. सा.का.नि. 28, तारीख 4 फरवरी, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi the 12th December, 2007

G.S.R 283.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Health and Family Welfare, Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur (Laboratory Attendant) Recruitment Rules, 2006, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur (Laboratory Attendant) Recruitment (Amendment) Rules, 2007.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Health and Family Welfare, Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur (Laboratory Attendant) Recruitment Rules, 2006,—

(a) In the entries under column 7, for Note 1, the following Note shall be substitute, namely :—

"**Note** 1.—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in Infia (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of Andaman and Nicobar Island or the Union Territory of Lakshadeep.)"

(b) in the entries under column 8 after the words "Medical Laboratory" the words "associated with leprosy treatment" shall be inserted.

(c) in the footnote, the word and figure "Rule 5" the word and figure "Rule 2" shall be substituted.

[F. No. A-12018/45/2000-Lep/CCD]

K. K. GUPTA, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 28, dated 4th February, 2006.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2007

सा.का.नि. 284.—केन्द्रीय सरकार, प्रसार भारती (भारत का प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 32 की उप-धारा (2) के खंड (i) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निगम द्वारा धन के विनिवेश के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रसार भारती (भारत प्रसारण निगम) धन का विनिधान नियम, 2007 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं-(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से प्रसार भारती (भारत प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 अभिप्रेत है;

(ख) "समिति" से नियम 5 में निर्दिष्ट विनिवेश समिति अभिप्रेत है;

(ग) "प्रत्यय रेटिंग अभिकरण" से उनके उधार सेवा धारिता पर आधारित कंपनियों के रेटिंग के प्रयोजन के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अभिकरण अभिप्रेत है;

(घ) "ऋण विनिधान" से ऐसा लिखित अभिप्रेत हैं जिससे किसी तीसरे पक्षकार को कोई अग्रिम उधार जैसे ऋण या डिबैंचर आदि दिए जाते हैं ।

(ङ) "लघु अवधि" से ऐसी अवधि अभिप्रेत है जो एक वर्ष से अधिक न हो;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में हैं ।

3. प्रतिभूतियों आदि में धन का विनिधान-निगम निम्नलिखित के अधीन एक या एक से अधिक लिखतों में अपने धन का विनिधान कर सकेगा तथापि सिद्धांत नियम 4 में अभिकथित किए गए हैं, अर्थात् :-

(i) सावधि जमा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में, जिसका कुल धन कम से कम सौ करोड़ रुपए हो और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को पूरी करता हो और जो उसके अंतिम प्रकाशित तुलनपत्र से प्रतिबिंबित हो;

(ii) विनिधान स्थापित प्रत्यय रेटिंग अभिकरणों द्वारा और ऐसी उच्चतम सुरक्षा प्राप्त राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्रों में होगी;

(iii) कोई उधार लिखत जिसे स्थापित प्रत्यय रेटिंग अभिकरण द्वारा उच्चतम प्रत्यय रेटिंग प्राप्त हो,

(iv) भारत सरकार के लोक खाते में किसी समय वापसी की सुविधा के साथ होगा;

(v) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की प्रतिभूति में होगा ।

4. विनिधान शासी सिद्धांत–(1) विनिधान शासी सिद्धांत सुरक्षा, प्रत्यागत, पारदर्शी और उत्तरदायित्वपूर्ण होंगे ।

(2) चुनी गई अवधि के लिए सावधि जमा उच्चतम ब्याज दर और प्रत्यागम के लिए राष्ट्रीकृत बैंकों में से किसी में किए जाएंगे ।

(3) अधिकतम प्रत्यागत लेने के लिए ऋण लिखित स्थापित प्रत्यय रेटिंग अधिकरणों द्वारा उच्चतम सुरक्षा रेटिंग के लिए पात्र लिखतों में से चुना जाएगा ।

(4) सरकारी प्रतिभूतियों में विनिधान करने में न्यूनतम कमीशन लेने वाले प्राथमिक व्यवहारियों को अधिमान्यता दी जाएगी ।

(5) अधिकतम प्रत्यागम और पारदर्शिता और उत्तरदायित्व प्राप्त करने के लिए पात्र राष्ट्रीयकृत बैंक तीन प्रतियोगी कोटेशन से चुने जाएंगे ।

(6) सभी विनिधान विनिश्चय, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी यथा लागू नियमों, विनियमों और निदेशों के अनुसरण में लिए जाएंगे ।

(7) निगम, लघु अवधि अधिशेष निधि का विनिवेश करने में निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा मार्ग निर्देशित होगा:—

(i) विनिधान केवल अधिकतम सुरक्षा वाले लिखत में किया जाएगा;

(ii) विनिधान से प्राप्त आय पर सट्टेबाजी का कोई तत्व नहीं होगा;

(iii) किसी समय पर न्यूनतम एक वर्ष के लिए अधिशेष की उपलब्धता सूचना और प्रसारण मंत्रालय के परामर्श से की जा सकेगी;

(iv) अधिशेष निधि के किसी विनिधान का विनिश्चय लेने से पहले कोई उचित वाणिज्यिक मूल्य वृद्धि होगी;

(v) निधियों का विनिधान किसी विशिष्ट समय-अवधि के लिए ब्याज की विशिष्ट दर पर नहीं होगा यदि निगम उसी समय-अवधि के लिए अपनी अपेक्षा के लिए समान या उच्चतर ब्याज दर पर उधार ले सकता है;

(vi) विनिधान विनिश्चय वाणिज्यिक निर्णयों पर आधारित होंगे;

(vii) उपलब्धता गणना कार्यशील पूंजी, अपेक्षाओं आस्तियों के प्रतिस्थापन और अन्य मांग के लेखे का प्राक्कलन करते समय नकदी प्रवाह के आधार पर की जाएगी;

(viii) अस्थायी निष्क्रय नकद का उपयोग जिसके अंतर्गत प्रतिदेय जमा भी है, का विनिधान केवल अस्थायी प्रकृति का होगा और निधियों से विनिधान के लिए उपयोग नहीं होगा उन्हें आंतरिक बाह्य बजटीय संसाधनों की गणना के बाहर रखा जाएगा;

(ix) विनिधान की अंतिम परिपक्वता विनिधान की तारीख से एक वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

5. विनिधान समिति–(1) अधिशेष निधि के विनिधान का विनिश्चय विनिधान समिति द्वारा किया जाएगा जो कार्यपालक सदस्य, सदस्य वित्त और सदस्य कार्मिक से मिलकर बनेगी ।

(2) विनिधान का विनिश्चय समिति द्वारा लिए जाएंगे जिसमें न्यूनतम दो सदस्य होंगे ।

(3) उप-नियम (1) के अधीन किए गए विनिश्चय प्रसार भारती बोर्ड के समक्ष उसकी अगली बैठक में अनुमोदन के लिए रखे जाएंगे ।

6. आंतरिक लेखा परीक्षा–(1) निधियों और विनिधानों की उचित आंतरिक लेखा परीक्षा की जाएगी और आंतरिक लेखा परीक्षा की रिपोर्ट निगम के कार्यपालक सदस्य द्वारा समय-समय पर पुनर्विलोकित होगी ।

(2) महत्वपूर्ण संप्रेक्षण प्रसार भारती बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए रखी जाएगी ।

[फा. सं. 1/2/2005-बी (वित्त)]

जोहरा चैटर्जी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 6th December, 2007

G.S.R 284.—In exercise of the powers conferred by Section 19 read with clause (i) of sub-section (ii) of Section 32 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), the Central Government hereby makes the following rules for investment of moneys by the Corporation, namely :—

1. **Short title and commencement**—(1) These rules may be called the Prasar Bharti (Broadcasting Corporation of India) Investment of Moneys Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990;

(b) "committee" means the Investment Committee, referred to in rule 5;

(c) "credit rating agency" means an agency recognised by Securities and Exchange Board of India and Reserve Bank of India for the purpose of rating companies based on their debt servicing capacity;

(d) "debt investment" means any instrument through which loan is advanced to third party like loan, debentures, etc.;

(e) "short-term" means a period not exceeding one year;

(2) Words and expression used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. **Investment of moneys in securities, etc.**—The Corporation may invest its moneys in one or more of the following instruments subject, however, to the principles laid down in rule 4, namely :—

(i) term deposits with any nationalised banks, having a net-worth of at least rupees 100 crores, fulfilling the capital adequacy norms, as specified by the Reserve Bank of India, and as reflected in the last published balance sheet;

(ii) investments which have been rated by an established credit rating agency and have been accorded the highest safety such as, certificate of deposits issued by nationalised banks;

(iii) any debt instrument which has obtained highest rating from an established credit rating agency;

(iv) public accounts with the Government of India with the facility for withdrawal at any time;

(v) securities of the Central Government or any State Government.

4. **Principles Governing Investment**—(1) The principles governing the investment shall be safety, returns, transparency and accountability.

(2) Term deposits for the chosen period shall be made from amongst the nationalised banks for the highest rate of interest and return.

(3) Debt instruments carrying the maximum return amongst the eligible instruments of highest safety rating by the established credit rating agencies shall be selected.

(4) Investments in Government securities through primary dealers charging the lowest commission shall be preferred.

(5) For obtaining maximum returns and achieving transparency and accountability, three competitive quotations from the eligible nationalised banks shall be chosen.

(6) All investment decisions shall be taken in accordance with the rules, ,regulations and directions issued by the Central Government, as applicable.

(7) The Corporation shall, in making investments of short-terms surplus funds, be guided by the following principles, namely :—

(i) investment shall be made only in instruments with maximum safety;

(ii) there shall be no element of speculation on the yield obtaining from the investment;

(iii) the surplus availability may be worked out for a minimum one year at any point of time, in consultation with the Ministry of Information and Broadcasting;

(iv) there shall be a proper commercial appreciation before any investment decision on surplus funds is taken;

(v) funds shall not be invested at a particular rate of interest for a particular period of time, if the Corporation is resorting to borrowing at an equal or higher rate of interest for its requirements for the same period of time;

(vi) investment decisions shall be based on commercial judgement;

(vii) the availability should be worked out based on cash-flow estimates taking into account working capital requirements, replacement of assets and other demands;

(viii) the investment shall be only of temporary nature using temporary idle cash including refundable deposits and it shall not be used for investing from the funds kept outside the internal extra budgetary resources calculation;

(ix) the final maturity of investment shall not exceed one year from the date of investment.

5. **Investment Committee**—(1) Decisions on investment of surplus funds shall be taken by an Investment Committee, consisting of the Executive Member, Member (Finance) and Member (Personnel).

(2) The decision on investments shall be taken by the committee comprising a minimum of two Members.

(3) Decision made under sub-rule (1) shall be placed before the Prasar Bharati Board for approval, in its next meeting.

6. **Internal audit**—(1) Proper internal audit of the funds and investments shall be developed and the reports of the internal audit shall be reviewed by the Executive Member of the Corporation, from time to time.

(2) Important observations shall be placed before the Prasar Bharati Board for approval.

[F. No. 1/2/2005-B (Fin.)]

ZOHRA CHATTERJI, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2007

सा.का.नि. 285.—महुआ फूल श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 2007 का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जिसको इस

4934 4507-6